अनुबंध 1: डीआरआई द्वारा पता लगाए गए शुल्क अपवंचन के मामलें (योजना-वार)

(संदर्भ पैराग्राफ 1.17 देखें)

₹ करोड़

क्रम सं.	योजना	वि.व 11		वि.व 12		वि.व 13		वि.व 14		वि.व 15	
		मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क	मामलों की सं.	शुल्क
1	अंतिम उपयोग और दूसरी अधिसूचना का दुरूपयोग	26	100.55	54	304.84	39	67.79	38	1211.67	18	110.18
2	ईपीसीजी का दुरूपयोग	10	3.33	6	25.72	13	179.55	22	583.08	49	289.11
3	कम मूल्यांकन	197	132.12	184	466.17	210	282.43	140	432.71	85	285.64
4	गलत घोषणा	91	110.19	111	844.44	298	2392.26	102	224.22	52	172.42
5	फिरती	102	81.42	13	25.93	71	1590.14	17	80.50		
6	इओयू/ईपीजेड/सेज का दुरूपयोग	4	0.04	6	9.66	7	39.07	3	6.90	6	37.50
7	डीईपीबी का दुरूपयोग	34	3.80	26	23.93	16	22.77	5	3.09		
8	डीईईसी/अग्रिम लाइसेंस का दुरूपयोग	18	264.62	1	0.10	6	139.73	1	0	11	1077.15
9	अन्य	99	130.40	97	27.43	49	28.92	366	570.55	186	953.54
	जोड़	**581**	**826.47**	**498**	**1728.22**	**709**	**4742.66**	**694**	**3112.72**	**407**	**2925.54**

अनुबंध 2:विनिर्दिष्ट वस्तुओं की जब्ती
(संदर्भ पैराग्राफ 1.18)

₹. करोड़

क्रम सं.	वस्तु	वि.व 11		वि.व 12		वि.व 13		वि.व 14		वि.व 15	
		अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई	अखिल भारतीय	डीआरआई
I	मशीनरी पुर्ज	249.76	106.61	133.71	113.34	69.50	38.78	563.18	535.67	447.10	444.34
II	वाहन/पोत/एयर क्रॉफ्ट	24.89	1.13	415.40	274.61	306.08	191.15	472.89	327.29	62.66	54.09
III	सोना	9.34	0.25	46.43	8.25	99.35	44.80	692.35	245.92	1119.11	274.80
IV	मादक औषधि	58.33	16.72	1711.93	1653.81	969.16	194.84	451.98	209.00	290.59	102.41
V	इलेक्ट्रानिक सामान	167.04	21.49	189.98	4.06	71.66	13.14	37.85	19.48	17.98	6.54
VI	विदेशी मुद्रा	3.83	1.36	35.55	0.27	9.96	0.06	14.49	5.97	25.09	3.65
VII	हीरे	11.52	1.00	24.66	15.50	9.46	5.00	6.62	5.27	14.81	10.50
VIII	भारतीय मुद्रा	2.11	1.16	18.20	0.31	4.87	2.44	5.20	2.12	3.71	1.30
IX	भारतीय नकली मुद्रा	1.81	1.50	2.64	2.19	2.24	2.02	1.13	1.09	1.24	0.64
X	फैब्रिक/सिल्क धागा आदि	187.7	36.45	158.79	52.38	49.89	5.45	24.03	1.04	41.78	9.13
XI	कंप्यूटर/पुर्जे	5.29	2.26	4.99	1.19	18.6	0.36	0.46	0	1.78	1.38
XII	बियरिंग्स	0.14	0	6.10	1.98	0.32	0	0.47	0	0.89	0
XIII	घड़ी/पुर्जे	4.31	3.06	7.30	2.78	8.88	1.41	1.17	0	2.44	0.06
XIV	विविध/अन्य	1749.63	620.27	0	0	0	0	0	0		
	कुल आयात का मुल्य आयात के मुल्य के लिए जब्ती का कुल प्रतिशत	**2475.70 1683467 0.15**	**813.26 1683467 0.05**	**2755.68 2345463 0.12**	**2130.67 2345463 0.09**	**1619.97 2669162 0.06**	**499.45 2669162 0.02**	**2271.82 2715434 0.08**	**1352.85 2715434 0.05**	**2029.18 2737087 0.07**	**908.84 2737087 0.03**

अनुबंध-3

(संदर्भ पैराग्राफ 1.27)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
1	ए1	कोच्ची	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	6.05	6.05	14.20	जेडीजीटी, कोची
2	ए 2	कोच्ची	छूट अधिसूचना के गलत अपनाने के कारण शुल्क की कम उद्ग्रहण	13.00	13.00	15.30	कस्टम हाउस, कोची केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क तिरूपनन्तपुरम
3	ए 3	दिल्ली	आयातित माल के गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	18.32	18.32	19.79	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
4	ए 4	दिल्ली	आरएसपी पर अधिक कटौती के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.67	10.67	10.74	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
5	ए 5	दिल्ली	एंटी डंपिग शुल्क अनुद्ग्रहण	30.64	30.64	32.00	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
6	ए 6	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.29	10.29	11.50	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली, आईसीडी, पड़पड़गंज, दिल्ली
7	ए 7	दिल्ली	अधिसूना लाभ की गलत मंजूरी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	11.22	11.22	5.50	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली
8	ए 8	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क	11.25	11.25	13.28	आईसीडी, तुकलकाबाद, दिल्ली

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			का कम उद्ग्रहण				
9	ए 9	हैदराबाद	मुद्रा के गलत अपनाने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	12.18	12.18	12.82	कस्टम हाउस विशाखापतनम
10	ए 11	मुम्बई	एंटी डंपिग शुल्क का अनुद्ग्रहण	19.10	19.10	21.32	जेएनसीएच, मुम्बई
11	ए 12	मुम्बई	वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क क्रेडिट की अनियमित अनुमति	30.42	30.42		डीजीएफटी, मुम्बई
12	ए 13	मुम्बई	सुरक्षा शुल्क का अनुद्ग्रहण	22.81	22.81	23.99	जेएनसीएच, मुम्बई
13	ए 14	अहमदाबाद	अयोग्य मद के निर्यात के लिए वीकेजीयूवाई क्रेडिट शुल्क का गलत प्रदान करना	34.45	34.45	35.45	आरएलए, अहमदाबाद
14	ए 15	अहमदाबाद	वीकेजीयूवाई योजना के तहत शुल्क क्रेडिट का अधिक प्रदान करना	13.33	13.33	16.97	आरएलए, अहमदाबाद एवं सूरत
15	ए 16	अहमदाबाद	ईपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात दायित्व के पूरा करने के प्रति अपात्र निर्यात की गलत गणना	51.62	51.62		आरएलए, राजकोट

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
16	ए 17	अहमदाबाद	लेट कर के गैर आरोपण के कारण एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का अधिक प्रदान करना	16.96	16.96	1.16	आरएलए, अहमदाबाद
17	ए 18	हैदराबाद	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	170.00	170.00	340.00	जेडीजीएफटी, हैदराबाद
18	ए 19	बैंगलुरू	माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप लाईसंस/सीमा शुल्क के भुगतान में कम डेबिट	24.90	24.90	36.45	एसीसी, बैंगलुरू
19	ए 20	बैंगलुरू	ईपीसीजी योजना के तहत निर्यात देयता को पूरा न करना	166.00	166.00		आरएलए, बैंगलुरू
20	ए 22	अहमदाबाद	डीटीए में निष्कासित माल का गलत शुल्क भुगतान	12.01	12.01	13.69	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रेंज-III , डिविजन-III अंकलेश्वर, कमिश्नरी सूरत-II
21	ए 23	बैंगलुरू	गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	9.72	9.72	12.11	आईसीडी, बैंगलूरू
22	ए 25	चेन्नै	सेवाओं के लिए एसएफआईएस शुल्क क्रेडिट का प्रदान करना	13.91	13.91	17.13	आरएलए, चेन्नै
23	26	चेन्नई	वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत अधिक	10.54	10.54	14.26	तूतीकारन (समुद्री) पोर्ट

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			शुल्क क्रेडिट की मंजूरी				
24	27	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण मूलभूत सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	15.59	15.59	18.09	वायु सीमाशुल्क चेन्नई
25	28	चेन्नई	वीबेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत अयोग्य मदों पर शुल्क क्रेडिट का भुगतान	88.96	88.96	72.44	जेडीजीएफटी, कोयम्बटूर
26	29	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	12.65	12.65		चेन्नई (समुद्री)
27	30	चेन्नई	एक ईओयू द्वारा बट्टे खाते में डाले गए माल पर शुल्क का गैर उदग्रहण	19.75	19.75	37.14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई
28	31	चेन्नई	छूट अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	10.93	10.93		चेन्नई (समुद्री)
29	32	चेन्नई	घटी दरों का गैर अनुप्रयोग वीकेजीयूवाई शुल्क क्रेडिट की अधिक मंजूरी में परिणत	14.12	14.12	10.86	जेडीजीएफटी कोयम्बटूर
30	33	कोच्ची	स्थिति धारक प्रोत्साहन योजना का	8.53	8.53	11.18	जेडीजीएफटी कोच्ची

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			अनियमित विषय				
31	35	दिल्ली	अंतर्राष्ट्रीय समुद्र बिक्री मूल्य के शुल्क के गलत निर्धारण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.24	10.24	2.82	यूसीडी,तुगलकाबाद, पटपडगंज, दिल्ली
32	37	कोलकाता	अयोग्य निर्यातो पर एसएचआईएस के लाभों की अनियमित मंजूरी	76.86	76.86		डीजीएफटी कोलकाता
33	38	कोलकाता	आयातित पुर्जो पर परियोजना आयात विनियमावली 1986 के लाभों की अनियमित मंजूरी	1680.00	1680.00		सीमाशुल्क (बंदरगाह) कोलकाता
34	39	कोलकाता	उचित बिक्री कर के भुगतान के सबूत के बिना एसएडीकी अनियमित वापसी	11.06	11.06	10.87	कोलकाता पोर्ट
35	40	बैंगलोर	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	9.06	9.06	11.37	एसीसी, बैंगलोर
36	41	बैंगलोर	अग्रिम प्राधिकरण लाईसेंस के अन्तर्गत निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	17.26	17.26		एसीसी, बैंगलोर

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
37	42	दिल्ली	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	10.85	10.85	6.89	आईसीडी, तुगलकाबाद (आयात/निर्यात) एनसीएच (आयात)
38	43	दिल्ली	एंटी डंपिग शुल्क का कम उदग्रहण	12.03	12.03	13.02	आईसीडी,तुगलकाबाद , दिल्ली
39	44	बैंगलोर	छूट अधिसूचना के गलत अनुप्रयोग के कारण सीमाशुल्क का कम उदग्रहण	16.69	16.69	14.14	एसीसी,बैंगलोर
40	45	दिल्ली	आरएसपीकी कम घोषणा के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	99.61	99.61		एनसीएच दिल्ली
41	46	जयपुर	सीमाशुल्क के रियायती शुल्कों का गैर भुगतान शुल्कों के कम भुगतान में परिणत	11.06	11.06	16.17	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कमिश्नरी, अलवर
42	47	बैंगलोर	वस्तुओं का गलत वर्गीकरण लाईसेंस में कम डेबिट में परिणत	17.17	17.17	25.06	एसीसी,बैंगलोर
43	49	बैंगलोर	निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	360.00	360.00		आईसीडी बैंगलोर
44	50	बैंगलोर	निर्यात दायित्व की गैर पूर्ति	12.26	12.26		आईसीडी बैंगलोर
45	51	मुम्बई	एंडी डंपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण	23.00	23.00	24.11	जेएनसीएच मुम्बई
46	53	मुम्बई	एंटी डपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण	40.27	40.27	112.19	जेएनसीएच मुम्बई

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
47	54	चेन्नई	समय बाधित आवेदन पर एसएचआईएस की गलत मजूरी	47.27	47.27		जीडीजीएफटी कोयम्बटूर
48	56	चेन्नई	अयोग्य निर्यात मदों को एसएचआईएस शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट की मंजूरी	122.00	122.00	122.00	जीडीजीएफटी कोयम्बटूर
49	57	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण कम उदग्रहण	77.36	77.36		चेन्नई (समुद्र)
50	58	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम संग्रहण	59.69	59.69		चेन्नई (समुद)
51	61	ग्वालियर	लेखापरीक्षा की सूचना पर सीमाशुल्क कार्मिक के लिए लागत वसूली शुल्क की वसूली	15.92	15.92	15.92	आईसीडी रतलाम
52	65	चेन्नई	एक ईओयू द्वाराडीटीए अनापत्तियों पर शुल्क की रियायती दरों का गलत लाभ उठाना	222.00	222.00	251.00	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चेन्नई । कमिश्नरी
53	66	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	12.89	12.89		चेन्नई (समुद्र)
54	67	कोलकाता	निर्यात मालके गलत वर्गीकरण के कारण आयात कर	82.52	82.52	2.02	उप कमिश्नर सीमाशुल्क, आयात कर वापसी सैल, पश्चिम बंगाल,कोलकाता

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			वापसी का अधिक भुगतान				
55	68	कोलकाता	अयोग्य निर्यातों पर एसएचआईएस योजना के लाभों की अनियमित मंजूरी	17.05	17.05	17.54	एडीजीएफटी, कोलकाता
56	69	कोलकाता	अग्रहणीय आयात कर फिरती की गैर वसूली	17.92	17.92	17.00	सहायक कमिश्नर सीमाशुल्क, आयातकर वापसी सैल (निरोधक) सीमाशुल्क कार्यालय कोलकाता
57	71	हैदराबाद	कोयले के आयात पर शुल्क का कम उदग्रहण	15.90	15.90	15.94	सीमाशुल्क कार्यालय विशाखापट्टनम
58	72	हैदराबाद	गलत वर्गीकरण के कारण एंटी डंपिंग शुल्क का गैर उदग्रहण	16.57	16.57		आईसीडी, हैदराबाद
59	73	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	10.52	10.52		चेन्नई (समुद्र)
60	74	चेन्नई	प्रतिबंधित मदों को एसएचआईएस शुल्क की अनियमित मंजूरी	17.55	17.55	17.55	जेडीजीएफटी,हैदराबाद
61	76	चेन्नई	देरी से किए गए आवेदन पर देरी से कटौती का गैर/गलत अनुप्रयोग अधिंक अनुदान	11.62	11.62	10.82	जेडीजीएफटी हैदारबाद

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
			में परिणत				
62	78	हैदराबाद	व्यापारी समयोपरि शुल्कों की गैर वसूली	15.05	15.05	15.05	सीमाशुल्क (निरोधक) विजयवाडा
63	79	जयपुर	एसएफआईएस की अनियमित मंजूरी	31.28	31.28	22.90	जेडीजीएफटी, जयपुर
64	80	जयपुर	शून्य शुल्क निर्यात प्रोत्साहन मालकी अनुमति की अनियमित मंजूरी	330.00	330.00	276.00	जेडीजीएफटी, जयपुर
65	82	कोलकाता	शुल्क की पूर्ण वसूली के बिना अग्रिम अनुमति की अदायगी	48.74	48.74		डीजीएफटी, कोलकाता
66	83	कोलकाता	निर्यात डिश एम्पलीफायरों के गलत वर्गीकरण के कारणआयातकर वापसीकाअधिक भुगतान	19.44	19.44	14.05	उप कमिश्नर, सीमाशुल्क आयात कर वापसी सैल, पश्चिम बंगा, कोलकाता
67	84	मुम्बई	आयात कर वापसी का गलत प्रतिदाय	13.24	13.24	13.24	डीजीएफटी, मुम्बई
68	86	मुम्बई	पूर्व आयात की गैर पूर्ति	11.13	11.13	11.13	डीजीएफटी मुम्बई
69	88	चेन्नई	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उदग्रहण	30.34	30.34		चेन्नई (समुद्र)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
70	89	अहमदाबाद	आयातित मालपर सीएसटी का गलत प्रतिदाय	15.84	15.84		विकास कमिश्नर, केएएसईजेड
71	90	अहमदाबाद	आयातित माल पर सीएसटी का गलत प्रतिदाय	17.03	17.03		विकास कमिश्नर, केसेज
72	92	चेन्नै	अयोग्य माल को क्रेडिट एसएचआईएस ड्यूटी की अनुमति	121.16	121.16		जेडीजीएफटी, चेन्नै
73	95	दिल्ली	आरएसपी पर अधिक मंदी के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	10.45	10.45	7.46	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
74	97	दिल्ली	गलत उद्घोषणा के कारण कम उद्ग्रहण	10.18	10.18	11.30	आईसीडी, तुगलकाबाद, दिल्ली
75	100	मुंबई	सुरक्षित शुल्क का उद्ग्रहण न करना	10.66	10.66	11.83	जेएनसीएच, मुंबई
76	103	कोच्ची	शिक्षा उपचार और माध्यमिक उपचार का उद्ग्रहण न करना	10.36	10.36		केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ईरनाकुलम
77	104	हैदराबाद	इपीसीजी योजना के अंतर्गत निर्यात उत्तर दायित्व को पूरा न करना	68.22	68.22	171.00	जेडीजीएफटी, हैदराबाद
78	109	चेन्नै	गलत वर्गीकरण के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण	27.10	24.53		चेन्नै (एयर)

क्रम सं.	ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूली राशि	कमिश्नरी/डीजीएफटी/डीसी का नाम
79	110	कोलकाता	ठेके के गलत पंजीकरण के कारण परियोजना आयात लाभ का अनियमित अनुदान	23.99	23.99	23.99	सीमाशुल्क हाऊस, कोलकाता
80	111	चेन्नै	एसएचआईएस इ्यूटी क्रेडिट प्रदान करने में इओयू के अवांछित लाभ के कारण विस्तृत राजस्व की हानि	3300.00	3300.00	7.16	जेडीजीएफटी, चेन्नै
				8158.33	**8155.76**	**2108.91**	

अनुबंध 4 (संदर्भ पैराग्राफ 2.3)

क्र. सं.	राज्य के नाम	कमिश्नरियों की संख्या	कमिश्नरियों के नाम
1	गुजरात	4	आईसीडी, कोडीयार, सीएच, सिक्का, जामनगर, सीएच, कांडला, एमपी एंड सेज, मुंद्रा
2	राजस्थान	1	जोधपुर
3	कर्नाटक	3	एसीसी बैंगलुरू, आईसीडी बैंगलुरू, एनसीएच मैंगलुरू
4	चंड़ीगढ़	1	लुधियाना
5	तमिलनाडू	3	समुद्र चेन्नै, एयर चेन्नै, तुतीकोरिन
6	केरल	1	कोच्ची
7	आंध्र प्रदेश	2	विशाखापट्नम, विजयवाड़ा
8	तेलंगाना	1	हैदराबाद
9	ओड़िशा	1	भुवनेश्वर
10	पश्चिम बंगाल	5	कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयर, आईसीडी दुर्गापुर, सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल (निवारक)
11	मेघालय	1	शिलोंग
12	उत्तर प्रदेश	2	नोएडा, कानपुर
13	महाराष्ट्र	9	आयात । और ॥ निर्यात । और ॥ (एनसीएच जोन-॥), एनएस-I, एनएस-III, एनएस-V (जेएनसीएच जोन ॥, आयात और निर्यात (एसीसी जोन ।॥)
14	दिल्ली	5	आयात, आईसीडी (निर्यात), एसीसी, एनसीएच (आयात), एसीसी, एनसीएच (निर्यात) तुगलकाबाद, आईसीडी पड़पटगंज, दिल्ली
15	मध्य प्रदेश	3	नोएडा, ग्वालियार, इंदौर
	कुल	**42**	

अनुबंध 5 (संदर्भ पैराग्राफ 2.3)

क्र. सं.	राज्य के नाम	कमिश्नरियों की संख्या	कमिश्नरियों के नाम
1	गुजरात	4	आईसीडी, कोडीयार, सीएच, सिक्का, जामनगर, सीएच, कांडला, एमपी एंड सेज, मुंद्रा
2	राजस्थान	1	जोधपुर
3	कर्नाटक	3	एसीसी बैंगलुरू, आईसीडी बैंगलुरू, एनसीएच मैंगलुरू
4	चंड़ीगढ	1	लुधियाना
5	तमिलनाडू	3	समुद्र चेन्नै, एयर चेन्नै, तुतीकोरिन
6	आंध्र प्रदेश	2	विशाखापट्नम, विजयवाड़ा
7	तेलंगाना	1	हैदराबाद
8	ओड़िशा	1	भुवनेश्वर
9	उत्तर प्रदेश	2	नोएडा, कानपुर
10	दिल्ली	5	आयात, आईसीडी (निर्यात), एसीसी, एनसीएच (आयात), एसीसी, एनसीएच (निर्यात) तुगलकाबाद, आईसीडी पड़पटगंज, दिल्ली
11	मध्य प्रदेश	**3**	नोएडा, ग्वालियार, इंदौर
	कुल	**26**	

अनुबंध 6 (संदर्भ पैरा ग्राफ 2.3)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कमिश्नरियों की संख्या	कमिश्नरियों के नाम
1	केरल	1	कोच्ची
2	पश्चिम बंगाल	5	कोलकाता पोर्ट, कोलकाता एयर, आईसीसी दुर्गापुर, सिलीगुडी, पश्चिम बंगाल (निवारक)
3	मेघालय	1	शिलोंग
4	महाराष्ट्र	9	आयात I और II निर्यात I और II (एनसीएच जोन-II), एनएस-I, एनएस-III, एनएस-V (जेएनसीएच जोन II, आयात और निर्यात (एसीसी जोन III)
	कुल	**16**	

अनुबंध 7 रिकॉर्डों का अनुचित अनुरक्षण

(संदर्भ पैरा सं. 2.6.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या स्वीकृत किया गया
1	एनसीएच मुंबई	एसआईआईबी से निर्देश के बावजूद अंतिम रूप दिये जाने के लिए लंबित प्रिंटिंग इंक्स (सीटीएच 3215) निर्धारण	कोई उत्तर नहीं
2.	एनसीएच मुंबई	सितम्बर 2013 में जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के बावजूद अस्थाई निर्धारण को अंतिम रूप में नहीं दिया गया था (दो बोर्ड-प्रिंटिंग स्याही)	कोई उत्तर नहीं
3	चेन्नै (एयर)	दिनांक 23.12.2005 के एसआईआईबी के बावजूद मै. वेलविन इंडस्ट्री लिमिटेड मामलों को अंतिम रूप नहीं दिया गया।	कोई उत्तर नहीं
4	लुधियान	संबंधित डीजीएफटी के सीमाशुल्क विभाग द्वारा दो निर्यातकों-अस्थाई निर्धारण मूल्य सूचित किया गया था जो एफपीएस के अंतर्गत प्रोत्साहन के अधिक दावे के लिए बाध्य कर सकता है।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 8 कॉल बुक रजिस्टर में लंबन

(संदर्भ पैरा सं. 2.7)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विवरण	क्या स्वीकृत किया गया
1	कोच्ची	697 पीडी बांड (अवधि 2009 से 2013) कॉल बुक रजिस्टर में लंबित थे, जिनकी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जुलाई 2014 में केवल एक बार समीक्षा की गई थी।	कोई उत्तर नहीं
2	एनसीएच, मुंबई	मै. पायोनियर एग्री टैक्नो स्कैन और एक्सपोर्ट प्रा. लिमि. मामले को कॉल बुक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। बीजी दिसम्बर 2011 में समाप्त हो चुकी थी, अक्टूबर 2014 में ही विभाग द्वारा बीजी के नवीकरण के लिए पत्र लिखा गया।	कोई उत्तर नहीं
3	सीमा शुल्क, सिक्का, जामनगर कमिश्नरी	निर्धारण योग्य मूल्य में समावेशन के मामले या पुल बैक टग प्रभारों, पोर्ट टनधारिता प्रभार पर प्रविष्टियों के बिलों (सं. 252) को कॉल बुक रजिस्टर में उचित रूप से शामिल नहीं किया गया।	कोई उत्तर नहीं

4	सीमा शुल्क, सिक्का, जामनगर कमिश्नरी	कॉल बुक से वापसी के बाद पुल बैक प्रभार (मै. रियालंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को जोड़कर मामलों को अंतिम रूप दिया गया यद्यपि समान मामले (मै. भारत ओमान रिफाईनरिज़ लिमि. 120 बीई) को अंतिम रूप नहीं दिया गया।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 9 मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष – अस्थाई निर्धारण का अनियमित निपटान

(संदर्भ पैरा 2.10.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विवरण	क्या स्वीकृत किया गया
1	जेएससीएच, मुंबई	सीटीएच 1310200 के अंतर्गत वर्गीकृत ''नाईजीरीयन गम अरेबिक (हींग) का अस्थाई रूप से निर्धारण किया गया तथा आयातकों के संघ के अनुरोध पर बीज को हस्त्य रूप से सौंपा गया ताकि वीई को मैन्यूल भरने और अस्थाई निर्धारण से बचा जा सके। यद्यपि, संशोधन के बिना या क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारण को अंतिम रूप दिये जाने के लिए बोर्ड स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इडीआई प्रणाली में कमियों के आधार पर अस्थाई निर्धारण का निपटान धारा 18 के प्रावधानों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थिति नहीं थी।	कोई उत्तर नहीं
2	आईसीडी, खड़गपुर, जोधपुर	पीवीसी रेजिन को गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था और अस्थाई निर्धारण का गलत ढंग से निपटान किया गया था जिसके कारण शुल्क विलंबित हुआ और आयातक को अवांछित वित्तीय लाभ हुआ।	कोई उत्तर नहीं
3	आईसीडी, जोधपुर	निर्धारणों में कोई समानता नहीं है। कुछ मामलों में, अंतिम निर्धारण किये गये थे फिर भी आवश्यक अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र आयातक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अन्य (पांच मामलों) मामलों में माल अंतिम उपयोग प्रमाण-पत्र की लंबित प्राप्ति अस्थाई रूप से निर्धारित किये गये।	कोई उत्तर नहीं
4	लुधियाना	दो बोर्ड का ऐसे निर्धारण हेतु बिना कारण बताये अस्थाई रूप से निर्धारण किया गया था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 10 बैंक गारंटी (बीजी) का पुन: वैधीकरण न करना

(संदर्भ पैरा 2.17)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विवरण	क्या स्वीकृत किया गया
1	एसीसी, हैदराबाद	मै. वुप्पलामरीधा मैग्नेटिक कंपोनैंट्स लिमिटेड द्वारा लागू बीजी (₹ 12.48 करोड़) अंतिम तिथि अर्थात 10.02.2012 से पहले पुन: वैधीकरण नहीं किया गया था।	कोई उत्तर नहीं
2	सीमा शुल्क (निवारक) भुवनेश्वर	08.03.2013 तक की वैधता के साथ ₹ 8.26 करोड़ के मूल्य हेतु दो आयातकों अर्थात् मै. ब्रह्माणी पेलैट्स लिमि. और मै. जीएमआर कामालंगा इनर्जी लिमि. द्वारा 2009 से 2011 की अवधि के दौरान लागू की गई बीजी को नवीकृत नहीं किया गया था हालांकि मामलों को अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।	कोई उत्तर नहीं
3	चेन्नै (समुन्द्र)	मै. फाल्कन टायर्स लिमि., पीडी बॉड को लागू करते हुए जून 2011 में अस्थाई निर्धारण किया गया और ₹ 0.41 करोड़ हेतु बीजी (28.06.2012 तक वैध) पुन: वैध नहीं किया गया था। मामले को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है (दिसम्बर 2015)।	कोई उत्तर नहीं
4	जेएनसीएच, मुंबई	मै. निकुंज एग्जिम एंटरप्राइजिसे प्राई. लिमि. आयातक द्वारा दिये गये ₹ 0.8 करोड़ वाले बीजी (माल के मूल्य का 25%) 28.11.2014 तक समाप्त हो गये थे और ₹ 0.3 करोड़ वाले अन्य छ: बीजी 24.01.2015 तक परंतु पुन: वैधीकृत नहीं किये गये थे। ये मामले अभी भी अंतिम रूप दिया जाना बाकी थे (दिसम्बर 2015)।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 11 अतिरिक्त जमा शुल्क (ईडीडी) की गैर/कम वसूली

(संदर्भ पैरा 2.20.1)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	आईसीडी लोनी, नोएडा कमिश्नरी	₹ 23.66 करोड़ मूल्य के निर्धारणीय दो अस्थायी मामले 2010 से एसवीबी में लंबित थे। आयातक द्वारा निर्धारित अवधि में उत्तर न प्राप्त होने के बावजूद भी इडीडी को 5% नहीं बढ़ाया गया था।	कोई उत्तर नहीं
2	आईसीडी, हैदराबाद	2005-2014 की अवधि से संबंधित 156 एसवीबी मामले 31 मार्च 2014 तक निपटान हेतु लंबित थे। हालांकि, फाइल न प्रस्तुत करने, निर्धारण समूह द्वारा जारी प्रश्नावली के तथ्य, 30 दिनों के भीतर आयातक से उत्तर की प्राप्ति और ईडीडी में 5% वृद्धि का सत्यापन नहीं किया जा सका।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 12 कम मूल्यांकन के कारण शुल्क की कम वसूली

(संदर्भ पैरा 2.20.2)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	जोधपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आईसीडी कॉनकार और थार ड्राय पोर्ट, जोधपुर	निर्धारण के समय माल को वर्गीकृत करते हुए (सीटीएच 27149090 के तहत बिटुमीन 60/70 (वीजी 30) के गलत स्वीकरण के कारण ₹ 23.93 लाख शुल्क की कम वसूली हुई।	विभाग ने बताया कि मामला अपीलीय प्रधिकारी के समक्ष लम्बित था।
2	विशाखापट्टनम	एक मामले में निर्धारण के समय 44.85 प्रति यूएसडी के बजाए 44.70 यूएसडी विनियम दर के गलत लागूकरण से ₹ 0.50 करोड़ के शुल्क और ब्याज का कम संग्रहण हुआ।	वसूली प्रक्रिया शुरू की गई है।
3	भुवनेश्वर के अंतर्गत धर्मा मण्डल	अस्थायी निर्धारण के समय बिटुमिनस कोयले (19 खेपों) की बजाए स्टीम कोयले के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 10.16 करोड़ की कम वसूली हुई। इन मामलों के गैर-निपटान के कारण सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।	आयातकों से अंतिम दस्तावेज प्राप्त न होने के कारण निर्धारण को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

अनुबंध 13 कम उतराई माल के लिए जुर्माना वसूलने के कारण राजस्व हानि

(संदर्भ पैरा 2.21)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	कोच्ची	मै. पेट्रोनेट एलएनजी लि. से कम उतराई माल के लिए परिवहन प्रभावी पर ₹ 0.45 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला था।	कोई उत्तर नहीं
2	विजयवाड़ा सीमाशुल्क	कृष्णापट्टनम पत्तन पर पामोलिन तेल आयातक से कम उतराई माल के लिए परिवहन प्रभारी से ₹ 0.11 करोड़ का जुर्माना नहीं वसूला था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 14 जॉंच रिपोर्ट की प्राप्ति के बावजूद निर्धारण का गैर निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	भुवनेश्वर कमिश्नरी के तहत धर्मा सीमाशुल्क मंडल	मै. सरोगी उद्योग प्रा. लि. जॉंच रिपोर्ट की प्राप्ति के बावजूद निर्धारण के गैर निपटान के कारण ब्याज सहित ₹ 0.50 करोड़ की भिन्नता शुल्क का संग्रहण स्थगित हो गया।	कोई उत्तर नहीं
2	कोलकाता पत्तन	सीआईपीटी, हल्दिया से जांच रिपोर्ट के परिणामों की प्राप्तियों के बावजूद ₹ 4.35 करोड़ के बांड मूल्य एवं ₹ 4.35 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य हेतु सिंथेटिक रबड़/पीवीसी फ्लोर स्वीप के आयात के इक्कीस मामले 17 महीने से 48 महीने तक लंबित थे (दिसम्बर 2015)।	विभाग ने बताया कि मामले का अन्तिम रूप देने के लिए एसवीबी और आयात के साथ अनुसरण किया जा रहा था।

अनुबंध 15 दस्तावेज प्राप्ति के बावजूद भी निर्धारण का गैर-निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	आईसीडी संतनगर, हैदराबाद	मै. आईसीआईसीआई बैंक लि. एसएफआईएस के तहत लाभ की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण लेने का मामला 2.2.2015 को जेडीजीएफटी को बताया गया था; 18 महीनों के बाद/दिनांक 25.02.2015 को जेडीजीएफटी से उत्तर प्राप्त होने पर ₹ 0.07 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 0.25 करोड़ के शुल्क भुगतान की मांग नोटिस जारी की गई (11.03.2015)। शुल्क की वसूली अभी भी की जानी थी।	वसूली प्रक्रिया शुरू की गई थी (दिसम्बर 2015)।

अनुबंध 16 डीआरआई आदेशों की प्राप्ति के बावजूद निर्धारण का गैर-निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	जेएनसीएच, मुंबई	डीआरआई अलर्ट के आधार पर अस्थायी निर्धारण की गई आयातित वस्तुएँ अर्थात् प्लास्टिक रीग्राइंड/लंप्स/पुंज आदि महानिदेशक, निर्धारण के नियम, 2007 का पालन (सीमाशुल्क मूल्यांकन) और निर्धारणों के निपटान के दिनांक 10.01.2014 के मूल्यांकन आदेशके बावजूद जनवरी 2011 से मई 2015 तक लंबित थी।	विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि आईसीईएस 1.5 में अन्तिम रूप दिए जाने में अधिक समय लगेगा।

अनुबंध 17 एसवीबी जांच पूरी होने के बावजूद भी निर्धारण का गैर निपटान

(संदर्भ पैरा 2.24)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	कोलकाता	एसवीबी जांच पूरी होने के बावजूद भी ₹ 26.50 करोड़ राशि के एसवीबी बांड के प्रति अस्थायी निर्धारित मामले (204 मामले) अभी भी लंबित थे। इसके अलावा, प्रविष्टि बिल फाइल करने से पूर्व एसवीबी जांच पूरी होने के बावजूद दो मामलों का अस्थायी निर्धारण किया।	कोई उत्तर नहीं
2	कानपुर	आईसीडी, जूही में ₹ 46.54 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले 10 मामले और आईसीडी, पनकी कानपुर में ₹ 30.50 करोड़ के निर्धारणीय मूल्य वाले 15 मामले शुल्क के निर्धारण हेतु न्यायाधिकरण को एप्रोच करने हेतु दोनो पक्षों को ढिलाई देते हुए अपील न्यायाधिकरण आदेश (फरवरी 2006) के बावजूद भी निपटान हेतु लंबित थे।	यह बताया गया कि मामले अभी भी सेसटैट में लंबित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि विभाग ने मामलों निपटान में अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया।

अनुबंध 18 कारण बताओ नोटिस का गैर-अधिनिर्णयन

(संदर्भ पैरा 2.26)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	चेन्नई समुद्र	दिनांक 24.01.2012 एवं 15.12.2011 को क्रमश: मै. नॉयल कॉमन फ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट कंपनी लि. और मै. टीमैक क्लोरेट्स लि. को जारी एससीएन पर 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्णय नहीं हुआ। कारण बताओ नोटिसों पर गैर-अधिनिर्णयन से ₹ 0.88 करोड़ राजस्व (भिन्नता शुल्क ₹ 0.38 करोड़ और 0.50 करोड़ ब्याज) का अवरोधन हुआ।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 19 अंतिम निर्धारण पर भिन्नता शुल्क की गैर/विलम्बित वसूली

(संदर्भ पैरा 2.28)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	चेन्नै विमानपत्तन	मै. वुपलम्रीठा मैग्नेटिक कंपोनेन्ट्स लि. सिकदंराबाद ₹ 32.86 करोड़ राशि की अस्थायी निर्धारण एडीडी के निपटान पर देय ब्याज सहित वसूली की गई थी। आयातक ने मार्च, 2011 में ₹ 1.38 करोड़ राशि की मॉग का भुगतान किया। शेष ₹ 31.49 करोड़ की मांग और ₹ 31.33 करोड़ ब्याज अभी भी वसूल किया जाना था।	कोई उत्तर नहीं
2	कोलकाता	9 मार्च और 1 अगस्त 2011 के बीच चीन से 3,48,035 किग्रा पीवीसी फ्लेक्स फिल्म के आयात के 11 मामलों में एंटी डंपिंग शुल्क का अस्थायी निर्धारण किया गया था। एडीडी की देयता कें रूप में पुष्टि के बावजूद भी निर्धारण गैर-निपटान से तीन वर्षों में ₹ 85.35 लाख के सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।	कोई उत्तर नहीं
	विशाखापट्टनम	मै. निर्निधी मार्केटिंग (प्रा.) लि. पुष्टि की गई (फरवरी 2013) ब्याज सहित ₹ 0.25 करोड़ की शुल्क मांग की वसूली नहीं की गई है।	वसूली प्रक्रिया शुरू की गई थी

अनुबंध 20 विशेष मूल्यांकन शाखा (एसवीबी) द्वारा निर्धारण की जांच पूरा करने और अंतिम रूप देने में विलंब

(संदर्भ पैरा 2.29)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	क्या मान ली गई
1	आईसीडी हैदराबादएवं एसीसी हैदराबाद	दिसम्बर 2005 से मार्च 2014 की अवधि से संबंधित 328 एसवीबी मामले एसवीबी चेन्नई से मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा में निपटान हेतु लंबित थे।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी।
2	आईसीडी,खोडियार अहमदाबाद	मूल्यांकन हेतु जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एण्ड ट्रेड (गैट) को भेजे गए चार मामलों का अभी भी निपटान किया जाना था। 1 बीई दिनांक 29 जून 2013 को भी गैट सेल को अग्रेषित किया जाना था।	विभाग ने बताया (सितम्बर 2015) कि मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी।
3	जेएनसीएच, मुंबई	मै. एंड्रीज एसटीआईएचएल-20% भिन्नता शुल्क के बराबर पीडी बांड और राजस्व जमा प्राप्त करके अस्थायी आधार पर खेपों की मंजूरी हेतु दिनांक 25.10.2013 के विशेष अंवेषण एवं जॉच ब्यूरो शाखा (एसआईआईबी) का भी पालन नहीं किया गया था।	कोई उत्तर नहीं
4	चेन्नई संमुद्र	व्यापार से अभ्यावेदन के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी के कारण इस्पात द्वितीयक सामग्री और टिन के आयात अप्रैल 2010 से अंतिम निर्धारण हेतु लंबित थे। हालांकि महानिदेशक, मूल्यांकन को मामले पर अभी भी निर्णय देना था जिसके कारण निपटान में देरी हुई। इस प्रकार, ₹ 14977.58 करोड़ मूल्य के आयात अभी भी असुरक्षित था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 21

कमिश्नरियों की सूची दर्शाता विवरण (पैरा 3.4 देखें)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कमिश्नरी की क्रम सं.	कमिश्नरी का नाम
1	कार्यालय. डीजीए (सी), कोलकाता	1	कोलकाता (पोर्ट)
		2	कोलकाता (एयरपोर्ट)
		3	निवारक पश्चिम बंगाल
		4	सिलिगुरी
		5	आईसीडी दुर्गा पुर
2	कार्यालय पीडीए (सी), अहमदाबाद	6	अहमदाबाद (आईसीडी खोडियार के संबंध में)
		7	कांडला
		8	मुंद्रा
		9	जामनगर (सीएच पिपावव के संदर्भ में)
		10	जोधपुर
3	कार्यालय पीडीए (सी), चण्डीगढ़	11	लुधियाना
4	कार्यालय पीडीए (सी), हैदराबाद	12	हैदराबाद
		13	विजयवाडा
		14	विशाखापटनम
5	कार्यालय पीडीए (सी), बैंगलोर	15	एयर कार्गो काम्पलेक्स
		16	आईसीडी
		17	न्यू कस्टम हाऊस मैंगलोर

6	कार्यालय डीजीएसी (सी), चैन्नई	18	चेन्नई समुद्र
		19	चेन्नई वायु
		20	तूतीकोरीन समुद्र
		21	कोचीन समुद्र
		22	कोचीन वायु
7	कार्यालय डीजीएसी (सी), मुम्बई	23	आयात I
		24	आयात II
		25	निर्यात I
		26	निर्यात II
		27	सामान्य
8	कार्यालय डीजीए (सी), नई दिल्ली	28	प्रधान कमिश्नर सी.शु, (आयात) आईसीडी, तुगलकाबाद
		29	सीमा शुल्क क (निर्यात) आईसीडी तुगलकाबाद
		30	कमिश्नर, सी.शु (आयात) न्यू कस्टम हाऊस
		31	कमिश्नर सीमाशुल्क (निर्यात)न्यू कस्टम हाऊस
		32	सीमाशुल्क क आईसीडी, पटपडगंज
9	कार्यालय पीडीए (सी), लखनऊ	33	कानपुर
		34	आगरा
		35	नोएडा
		36	पटना

अनुबंध 22 विशिष्ट पुनः आयात अवधि की समाप्ति के बाद पुनः आयात

(पैरा 3.9.2 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद कमिश्नरी के अन्तर्गत आईसीडी खोडियार	मै. मेघमनी पिगमेंटस और मै. क्रिस्टल क्वीनोन प्रा.लि. ने गलती से अधिसूचना 158/95 सीशु. की क्रम सं 2 के तहत ₹ 21.22 लाख मूल्य का माल पुनः आयात किया (नवम्बर 2013) जबकि माल के प्रारंभिक निर्यात की तिथि से एक वर्ष बीत चुका था। प्रति बांड बचाया गया शुल्क ₹ 5.49 लाख था।	कोई उत्तर नहीं
2	चेन्नई (समुद्र)	मै टयूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया - 1732 बाइसाइकिल पार्टस/फ्रेम जिन्हें अक्तूबर 2012 में निर्यात किया गया था को प्रारंभिक निर्यात से एक वर्ष और तीन महीने बीत जाने के बाद सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 (क्र सं. 2) के प्रावधानों के उल्लंघन में पुनः आयात किया (फरवरी 2014)। इस मामलें में अस्वीकार्य शुल्क छूट ₹6.35 लाख निकाली गई।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 23 अधिसूचना सं.158/95 के तहत विदेशी माल का आयात

(पैरा 3.9.2 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	एसीसी बैंगलुरू	मै. वेव एक्सिस टेकनोलाजिस प्रा. लि ने विदेशी माल (फोर्म स्प्रिंग और कम्प्रेसर के पार्टस) का आयात किया (नवम्बर 2013) और ₹ 3.81 लाख की राशि का गलत शुल्क छूट का लाभ लिया। क्योंकि भारत में निर्मित माल का आयात ही केवल छूट के लिए पात्र है। इसके अलावा माल निर्धारित अवधि में पुनः निर्यात नहीं किया गया था। ₹ 3.81 लाख का छोडा गया शुल्क वसूली योग्य था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 24 पुनः संसाधन के लिए माल का पुनः आयात

(पैरा 3.10 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	लुधियाना	मै. किंग्स एक्पोर्टस लुधियाना ने स्टील के रूफींग फ्रेमवर्क सट्रक्चर के पार्टस को पुनः आयात (अक्तूबर 2014) मरम्मत हेतु ₹ 0.45 लाख के शुल्क छूट का लाभ लेते हुए किया (अधिसूचना सं. 158/95, क्रम सं.1) । चूंकि माल की विशिष्टता को बदलना था, माल को पुनः संसाधित करना अपेक्षित था, जो अधिसूचना की क्रम सं. 2 के तहत कवर होता है। तथापि अधिसूचना की क्रम सं. 2 के तहत लाभ अस्वीकार्य था क्योंकि माल प्रांरभिक निर्यात एक वर्ष के बीत जाने के बाद पुनः आयात किए गए थे।	आन्तरिक उत्तर

अनुबंध 25 पुनः मार्किंग के लिए माल का पुनः आयात

(पैरा 3.10 देखें)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	आईसीडी, साबरमती, गुजरात	मै. सेंडविक एशिया प्रा.लि ने पुनः-मार्किंग के लिए सीमलैस स्टेनलैस स्टील पाइप्स को पुनः आयातित किया (अप्रैल 2013) था, को अधिसूचना के क्रम सं. 2 के बजाय अधिसूचना के क्रम सं. 1 के अंतर्गत छूट दी गई थी। तदनुसार, निर्यात से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात पुनः आयात (अक्तूबर 2010) क्रम सं. 2 के तहत अपात्र है। इसलिए, आयातक ₹ 2.40 लाख के छूट के अनुदान हेतु पात्र नहीं था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 26 अधिसूचना में बदलाव की अनुमति देते हुए आयातकों को अनुचित लाभ

(पैरा 3.10 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	आईसीडी खेडियार, अहमदाबाद	मै. मंगलम एलॉयिल. ने अधिसूचना सं. 158/95 के अंतर्गत ₹ 7.41 लाख की शुल्क छूट प्राप्त करते हुए विभिन्न आकारों के फास्टनर्स हेक्सागोन नट्स के स्टेनलेस स्टील का पुनः आयात किया था (जनवरी 2014)। तत्पश्चात, निर्यातक ने माल को पुनः निर्यात करने में अक्षमता जताई(दिसम्बर 2014) और दिनांक 16 दिसम्बर 1996 की अधिसूचना सं. 94/1996 के तहत प्रविष्टि के बिल के पुनः निर्धारण का अनुरोध किया। विभाग ने अधिसूचना सं. 158/95 के अन्तर्गत शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की थी।	विभाग ने बताया कि निर्यातक के अनुरोध पर मामले को पुनः निर्धारित किया गया था। विभाग का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय के सीमाशुल्क कमिश्नर, कोलकाता बनाम इंडियन रेयान एंण्ड इंडस्ट्रीज लि. 2008 (229) ई.एल.टी 3 (एस.सी) के मामलें में निर्णय के दृष्टिगत स्वीकार्य नहीं है जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि अधिसूचना 158/95 के तहत किया गया वास्तविक निर्धारण अन्य अधिसूचना (94/1996) के तहत लाभ देते हुए बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता।
21	अहमदाबाद	मै. जेगसन कोलोरकेम .लि. ने सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 के तहत शुल्क के भुगतान के बिना ₹ 94.70 लाख के मूल्य के 'सिन्थोटिक्स ओरगेनिक्स डाइज रिएक्टिव ब्लैक' का पुनःआयात किया (जून 2014)। तदन्तर आयातक ने (सितम्बर 2014) ब्याज सहित ₹ 15.96 लाख के शुल्क (सीवीडी, शिक्षा उपकर एवं एसएडी) का भुगतान किया किन्तु छोड़े गए मूल सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया क्योंकि उन्होंने अधिसूचना सं. 94/1996 के तहत पुनः निर्धारण का अनुरोध और निर्यात लाभ त्यागने की सहमति दी थी। विभाग द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई (अप्रैल 2015)। चूंकि मामला अन्य अधिसूचना (94/1996) के तहत पुनः निर्धारित नहीं किया जा सकता इसलिए ₹ 8.52 लाख की बीसीडी वसूली योग्य थी।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 27 अन्य एजेंसी को पुनःनिर्यात और पुनः निर्यात पर वापसी

(पैरा 3.11 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई समुद्र	मै. साई मरीन एक्सपोर्टस प्रा.लिमिटेड ने बेलजियम से फ्रोजन श्रिम्प का पुनःआयात किया (दिसम्बर 2014) और अधिसूचना की क्र. सं. 2 के तहत लाभ लिया। फर्म ने जुलाई 2014 में प्रारंभिक निर्यात के समय ₹2.13 लाख की वापसी का लाभ लिया और पुन आयात पर फिरती वापिस नहीं की। माल को यूएएए में एक और फर्म को पुनः निर्यात किया गया (फरवरी 2015) और दोबारा ₹ 2.89 लाख के पुनः निर्यात का लाभ लिया गया। चूंकि आयातक ने प्रारंभिक निर्यात के प्रति वापसी का लाभ लिया था और विदेश में उसी खरीददार/ग्राहक को पुनः आयातित माल को पुनः निर्यात नहीं किया गया था, ऐसे माल अधिसूचना सं. 158/95 के तहत लाभ योग्य नहीं हो सकते।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 28 पुनःनिर्यात माल पुनः आयात माल के साथ मेल नहीं खाता

(पैरा 3.11 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई (समुद्र)	मै. केटरपिल्लर प्रा. लि ने चार सीमा शुल्क अधिसूचना 158/95 (क्रम. सं. 1) का पुनः आयात किया। माल का सितम्बर 2013 में पुनः निर्यात किया गया और पुनः निर्यात बांड/बीजी को 27.12.13 को रद्द किया गया था। संवीक्षा से पता चला किए एक शिपिंग बिल के तहत पुनः निर्यात इंजनो की पार्ट सं. पुनः आयात से भिन्न थी। ईंजन के पुनः आयात पर छोड गया ₹ 5.20 लाख की राशि का शुल्क वसूली योग्य है।	कोई उत्तर नहीं
2	कोलकाता (पत्तन)	मै. किस्ना फिशिंग एसेसरीज प्रा.लि. ने अधिसूचना 158/95 के तहत लाभ लेते हुए स्पोर्टस फिशिंग माल पुनः आयात किया (सितम्बर 2013)। पुनः निर्यात शिपिंग बिल की संवीक्षा से पता चला कि पुनः निर्यात माल पुनः आयातित माल की मात्रा, भार और बीजक मूल्य भिन्न थे। इसके अलावा, एसबी में उल्लिखित पुनः आयात माल की प्रविष्टि के बिल (बी/ई) बी ई सं. से भिन्न थे जिसके द्वारा माल को वास्तव में पुनः आयात किया गया था। आयातक से ₹3.83 लाख के शुल्क छूट लाभ की राशि वसूलीयोग्य थी।	

अनुबंध 29 माल का विलम्बित पुनः निर्यात

(पैरा 3.12 देखे)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोचीन	मै. स्पार्क कन्ट्रोल ने मई 2013 में माल का पुनः आयात किया किन्तु विभाग से विस्तारण प्राप्त किए बिना निर्धारित पुनः निर्यात अवधि की समाप्ति के बाद पुनः निर्यात किया। शुल्क छूट ₹ 6.44 लाख थी।	बांड और बीजी जुलाई 2014 में रद्द की गई थी।
2	आईसीडी बैंगलुरू और एसीसी देवानाहल्ली	अक्तूबर 2012 और अप्रैल 2014 के बीच मै. माइक्रो फिनिश वाल्वस और तीन अन्यों द्वारा पुनः आयात माल को बिना विस्तारण प्राप्त किए निर्धारित निर्यात अवधि की समाप्ति के बाद अप्रैल 2013 और नवम्बर 2014 के बीच पुनः निर्यात किया। इसमें ₹ 3.03 लाख के शुल्क की छूट शामिल है।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 30 कम पुनः निर्यात माल पर सीमा शुल्क का अनुद्ग्रहण

(पैरा 3.13 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	जोधपुर	मै. पीएसवी पालीमर्स प्रा. लि. और दो अन्यों द्वारा जनवरी 2013 और फरवरी 2014 के बीच पुनः आयातित माल को आंशिक रूप से पुनः निर्यात किया गया था (8.11 से 24.24 प्रतिशत) जिसमें तीन मामलों में ₹ 26.83 लाख का शुल्क शामिल था	₹ 0.13 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.54 लाख की वसूली एक आयातक से कर ली गई थी। बाकी दो मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2015)
2	चेन्नई (समुद्र)	मै. सुंदरम फास्टनर्स लि- 'हेक्स कोन रोड बोल्ट' के 30,000 पीस के पुनः आयात के प्रति केवल 500 पीस को पुनः निर्यात किया गया था और बाकी 29,500 पीस के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। ₹ 6.80 लाख की छोडी गई शुल्क राशि वसूली योग्य थी।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 31 अपर्याप्त बैंक गारंटी

(पैरा 3.13 देखे)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोचीन	नवम्बर 2011 से अप्रैल तक ईडीआई आयात डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 5 आयातकों के मामले में बैंक गारंटी ₹1.81 लाख तक कम जमा करवाई गई थी।	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 32 बैंक गारंटी को लागू न करना

(पैरा 3.13 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई समुद्र	मै. फरीदा शूज़ लि. चूंकि आयातक माल के पुनः निर्यात करने में विफल रहा, विभाग ने बैंक को उनकी वैद्यता अवधि की समाप्ति के बाद कुल ₹10.54 लाख की चार बैंक गारंटी लागू करने के निर्देश दिए (सितम्बर 2014)। नवम्बर 2014 में बैंक को अनुस्मारक जारी करने के बाद भी बैंक गारंटी लागू नहीं की गई	कोई उत्तर नहीं

अनुबंध 33 जोबिंग के लिए गलत छूट देना

(पैरा 3.15 देखें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता (पोर्ट)	मै. वज्र मशीनरी प्रा. लि. – माल मै. डायेरयुक इंट, यूएसए से आपूर्ति/आयात किया गया था और मै. एमआईएनएल लिमिटेड नाइजीरिया को निर्यात किया गया अर्थात समान आपूर्तिकर्त्ता को पुनः निर्यात नहीं किया गया। इसके अलावा, माल का पुनः निर्यात, पुनः अवधि की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद बिना कोई समय विस्तारण लिए किया गया था। अतः आयातित माल पर शुल्क छूट नहीं मिलनी चाहिए थी। ₹14.29 लाख का शुल्क वसूली योग्य था (ईडीआई आयात डाटा के अनुसार)।	विभाग ने मामलों को स्वीकार किया और बताया कि आयातक शुल्क के भुगतान का दायी है।

अनुबंध 34 अधिसूचना 32/97 के अन्तर्गत शुल्क मुक्त आयात इनपुट/कच्चा माल का उपयोग किए बिना जाबिंग के बाद माल का निर्यात

(पैरा 3.15 देखे)

क्रम सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नई (समुद्र)	मै. वूरी ओटोमोटिव इंडिया प्रा. लि. – अन्तिम उपयोग प्रमाणपत्र में उल्लिखित शिपिंग बिलों की संवीक्षा से पता चला कि उसमें शामिल प्रविष्टि के बिलों की सं. बीई सं. से अलग थी जिसके अन्तर्गत जाबिंग के लिए माल का आयात किया गया था। अतः शुल्क मुक्त कच्चा माल जाब कार्य के निष्पादन में उपयोग नहीं किया गया था और परिणामतः माल को पुनः निर्यात नहीं किया गया। अतः आयातक ब्याज सहित ₹29.89 लाख की राशि के छोडे गए शुल्क के भुगतान का दायी था।	कोई उत्तर नहीं ।

अनुबन्ध 35 न्यूनतम मूल्य संवर्धन प्राप्त न करना

(पैरा 3.15 का संदर्भ लें)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	चेन्नै समुद्र	मैसर्स कोरविन केमिकल्स और फार्मस्यूकल लिमिटेड और अरूल रबर प्राइवेट लिमिटेड – आयातक अधिसूचना की शर्त (V) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार 10 प्रतिशत का न्यूनतम मूल्य संवर्धन प्राप्त करने में विफल रहा। तदनुसार, वो व्याज सहित ₹14.05 लाख के भुगतान का उत्तरदायी था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 36 पुनः निर्यातित माल का आयातित माल से मेल न होना

(पैरा 3.15 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	एयर कार्गो कॉमप्लेक्स देवनहल्ली, बैंगलुरू	मैसर्स आर्मर प्लास्ट –फरवरी 2013 में काम के बाद पुनः निर्यातित माल प्लास्टिक, लेंस, ग्रीन पावर आदि अर्थात आयातित स्टेनलेस स्टील ट्यूब से नहीं बनी हुई वस्तुएं थीं। चूंकि अधिसूचना की शर्त को पूर्ण नहीं किया गया था ₹3.04 लाख का शुल्क छूट लाभ वसूली योग्य था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 37 निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद पुनः आयातित माल

(पैरा 3.25 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	नोएडा	मैसर्स होन्डा कार्स इंडिया लिमिटेड- जुलाई 2012 में आयातित माल सहायक/उप आयुक्त द्वारा दिये गये विस्तार को प्राप्त करने पर अप्रैल 2013 में (आयात की तिथि से 9 महीने बाद) पुनः निर्यात किया गया था, जो बोर्ड के दिनांक 5.11.1998 के परिपत्र के अनुसार अनियमित था। बांड 2.7.2014 को समाप्त और रद्द कर दिया गया था।	No Reply.
2	मुम्बई जोन II	मैसर्स तुलसी इंजेक्स लिमिटेड ने विस्तार सहित आयात की तिथि से एक वर्ष समाप्त होने के बाद 13 फ्लेक्सि-टैंक पुनः निर्यात किये (15.1.15 तक)। इसके अतिरिक्त, सहायक/उप आयुक्त ने बोर्ड को दिनांक 5.11.1998 के परिपत्र का उल्लंघन करते हुये अतिरिक्त छह माह की अवधि बढाई।छोड़ा गया शुल्क 0.74 लाख था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 38 कंटेनरों का कम पुन: निर्यात

(पैरा. 3.25 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	आईसीडी, दादरी नोएडा	मैसर्स इंडिया यामाह मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड-504 ड्यूरेबल कंटेनरों के आयात के प्रति केवल 396 कंटेनरों को निर्धारित अवधि के अंदर पुन: निर्यातित किया गया था जून 2013 जिसके परिणामस्वरूप 108 कंटेनरों का कम पुन: आयात हुआ। आयातक ब्याज सहित ₹ 3.37 लाख के शुल्क के भुगतान का उत्तरदायी है।	अभिलेख पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे और उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुबन्ध 39 अधिसूचना सं.3/89-सी.शु. के अंतर्गत पुन: आयात में विफलता के मामले में शुल्क की गैर –वसूली

(पैरा 3.29 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	एयरपोर्ट कोलकाता	पहाड़पुर कूलिंग टावर्स (प्रा.) लिमिटेड निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। ₹ 1.01 लाख का शुल्क छोड़ दिया गया।	विभाग ने बताया कि चूँकि अधिसूचना में अधिसूचना 134/94 से संलग्न तालिका की क्रम सं.10 को छोड़कर माल के पुनर्निर्यात हेतू समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। इसलिए यह इस अधिसूचना के अन्तर्गत किये गए सभी प्रकार के आयातों के लिए मान ली गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आयातक द्वारा क्रियान्वित बाण्ड स्पष्ट रूप पुनर्निर्यात के लिए एक महीने की समय सीमा विनिर्दिष्ट करता है। इसके अतिरिक्त तालिका की क्रम सं.10 के अन्तर्गत अनुमत 3 वर्ष की अवधि मरम्मत/पुन: अनुकूलन/अभियात्तिकी के लिए किये गए आयात पर लागू होती है और न कि परिक्षण हेतू जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है।

अनुबन्ध 40 छूट के लिये अयोग्य आयातित माल की निकासी

(पैरा. 3.31 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	सीमाशुल्क (पोर्ट) कोलकाता	मैसर्स ब्रह्मपुत्रा क्रेकर और पोलिमर लिमिटेड, डिबरूगढ़, असम- परियोजना आयात के माल सहित एक साथ आयातित और स्वीकृत मद को गलत रूप से भेजा/आपूर्ति किये के रूप घोषित किया था। चूंकि गलत तरीके से आपूर्ति किया गया माल न मरम्मत और वापसी के लिये था और न ही अधिसूचना में उल्लिखित वस्तुओं की किसी भी अन्य श्रेणी के अंतर्गत कवर किया गया था, इस प्रकार, अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की छूट के लिये अयोग्य थे। इसके परिणामस्वरूप ₹6.64 लाख की शुल्क राशि की अनियमित छूट मिली।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 41 अधिनियम की धारा 74(1) और (2) के अंतर्गत फिरती का अनियमित मंजूरी

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद	मैसर्स ड्रुएदजच्लर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी 2014 में ₹ 11.15 लाख, 40 प्रतिशत शुल्क फिरती की स्वीकृति थी। यद्यपि, आयातित माल को 18 माह बाद पुन: निर्यात किया गया था, इसलिए फिरती के लिये पात्र नहीं था।	₹ 2.29 लाख के ब्याज सहित ₹ 13.44 लाख की राशि की वसूली की गई थी।
2	अहमदाबाद	मैसर्स सुपरनोवा इंजीनियर्स लिमिटेड को 18 माह समाप्त होने के बाद पुन: निर्यात प्रयोग किये गये माल पर ₹3.27 लाख की आयात शुल्क राशि के 98 प्रतिशत की दर पर फिरती अनुमत की (अगस्त 2014)।	

अनुबन्ध 42 पुन: निर्यातित रसायन की जांच किये बिना फिरती शुल्क का अनुमोदन

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता (पोर्ट)	मैसर्स यूनाइटेड फोस्फोरस लिमिटेड, हल्दिया को सीबीईसी के दिनांक 06.04 के परिपत्र संख्या 34/95-सीयूएस का उल्लंघन करते हुए बिना रसायन जांच के रसायन (मीथाइलीन डाइब्रोमाइड 99 प्रतिशत न्यूनतम) के दोबारा पुन: निर्यात पर ₹ 11.28 लाख की फिरती राशि अनुमत थी। नमूनों की जांच पुन: आयातित माल की पहचान स्थापित करने के अभाव में असमान निर्यातित माल पर अनियमित फिरती की मंजूरी के खतरे से बचने के लिये अनिवार्य की जा सकती है।	₹ 2.29 लाख के ब्याज सहित ₹ 13.44 लाख की राशि की वसूली की गई थी।

अनुबन्ध 43 शिपिंग बिल की तीन प्रतियों के बिना फिरती का भुगतान

(पैरा.3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	कोलकाता (पोर्ट)	मैसर्स लार्सन और टर्बो लिमिटेड को शिपिंग बिल की प्रति के आधार पर और दावेदार से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने पर धारा 74 के अंतर्गत 7.38 लाख की फिरती का भुगतान किया गया था क्योंकि शिपिंग बिल की भूल तीसरी प्रति खो गई थी, जैसाकि आयातक द्वारा बताया गया था।	कोई उत्तर नहीं
	एनएससीबीआई एयरपोर्ट, कोलकाता	मैसर्स स्थलमनर्जर एशिया सर्विस लिमिटेड को शिपिंग बिल की प्रति प्रस्तुत करने पर और दावेदार से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त करने पर धारा 74 के अंतर्गत ₹ 3.29 लाख की फिरती का भुगतान किया गया था क्योंकि शिपिंग बिल की मूल तीसरी प्रति खो गई थी, जैसाकि आयातक द्वारा बताया गया था।	कोई उत्तर नहीं

अनुबन्ध 44 विनिर्मित माल पर धारा 74 के अंतर्गत फिरती का अनियमित मंजूरी

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	अहमदाबाद	मैसर्स शिवम इंटरप्राइज – विनिर्माण कार्य (टेफलोन/पीटीईई कोटिंग) के बाद पुन: आयातित सिलेंडरों के लिये अधिनियम की धारा 74(1) के अंतर्गत ₹ 0.46 लाख की राशि का 98 प्रतिशत की दर पर फिरती की स्वीकृति दी गई थी (सितम्बर 2014)।	विभाग ने ₹ 0.05 लाख के ब्याज सहित ₹ 0.41 लाख की राशि की फिरती की वसूली सूचित की।

अनुबन्ध 45 संबंधित लाइसेंस में पुन: क्रेडिटिंग के बजाय नकद में सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत फिरती का गलत मंजूरी

(पैरा. 3.40 का संदर्भ लें)

क्र.सं.	कमिश्नरी	संक्षिप्त विषय	विभाग का उत्तर
1	मुद्रा	मैसर्स ए इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स ए इनोवेटिव इंटरनेशनल लिमिटेड को आयातित माल के पुन: निर्यात पर अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत नकद में ₹2.84 लाख की फिरती स्वीकृति की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि ₹1.09 लाख की राशि आयात के समय पर डीईजीबी और एफएमएस स्क्रिप्ट में वास्तविक रूप से डेबिट किया गया था। संबंधित स्क्रिप्ट में अनुपातिक शुल्क की पुन: क्रेडिटिंग न होने के परिणामस्वरूप ₹ 0.88 लाख की फिरती की गलत मंजूरी हुई।	विभाग ने कहा (जून 2015) कि डीईपीबी के माध्यम से डेबिट किये गये शुल्क का नकद भुगतान किया गया था क्योंकि योजना सरकार द्वारा 2011 में समाप्त कर दी गई थी। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचबीपी प्रावधान में माल के पुन: आयात के मामले में डीईपीबी स्क्रिप्ट के पुन: क्रेडिट के लिये व्यवस्था है।